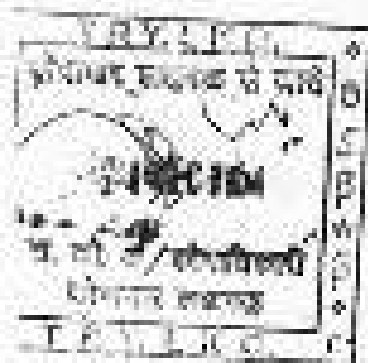


28/137

I-B401A



0400 014980



विश्व विलेख

विश्व विलेख : रु० 16,35,325/-  
 बजाल विलेख : रु० 1,35,000/-  
 व्यापक विलेख : रु० 1,54,000/-  
 फलाना : वि०-१०२

यह विश्व विलेख जयकरन स्वयं व फीर संस्थक नन्द  
 किशोर अमलस्क पुत्रकम श्री राम प्रसाद व श्याम करन पुत्र श्री  
 राम प्रसाद, निवासी- जाम खुफ नगर उर्फ बनिबामर, परगना

1/5/1928

श्याम करन

1/5/1928

Figure 1. The effect of the concentration of the polymer solution on the apparent viscosity of the polymer solution. The apparent viscosity of the polymer solution increases with increasing the concentration of the polymer solution.

1974 - 1975

97-11-1


 Arizona State University

1990-1991 1991-1992

100 + 40 = 140

— 17900

— एक संकेत प्राप्त हुआ  
पुनः फोन पर वार्तालाप के विनिर्देश

महाराष्ट्र सरकार  
महाराष्ट्र शासन  
महाराष्ट्र शासन

VS

1998

[illegible]

38/204

**Abstract**

1. **Introduction**

1994

1. *Chlorophyll a*

*[Signature]*

जयकाल इत्यं नवतीर इत्यं न  
इत्यं नवतीर इत्यं न  
इत्यं नवतीर इत्यं न  
इत्यं नवतीर इत्यं न





0400 014981

- 2 -



मिलनौर, तहसील व जिला-सखनऊ, जिले आगे विवेचनात्मक यहाँ  
 पृथा है. स्वम् रोजीत पुत्र द्वारा प्रसाद निवासी- -254, चन्द्रलोक  
 कालोनी, अलीगढ़, सखनऊ, जिले आगे जेता कहा गया है, के  
 मला निष्पादित किया गया।

यह कि विवेचनात्मक मुनि सखन नं० 133 रकबा 0.671  
 हेक्टेयर, सखन नं० 138अ रकबा 0.128 हेक्टेयर, सखन नं०  
 138ब रकबा 0.197 हेक्टेयर, कुल रकबा 1.094 हेक्टेयर को 3/4  
 भाग अर्थात् 0.820 हेक्टेयर, स्थित ग्राम कसुल नगर उर्फ  
 बगियामऊ, प्रमना-मिलनौर, तहसील व जिला सखनऊ, का

अधीनस्थ शासने अर्थात्

अधीनस्थ

पत्रिका के सम्पादक

श्री १२००  
२०००-०१  
२०००  
२०००

सुनीलसिन्हा  
जी.सी. सिन्हा बंगला  
२४४ आज़मगढ़ जिले  
लालबहादुर  
नरसिंह बंगला  
वर्तमान सुकुमन के सम्पादक

लाभकार

राम नरन

२४-१२-०१

२५९०

लालबहादुर

लालबहादुर

२४-१२-०१





04DD 014982



-3-

मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त साक्षात्कृत वार्षिक  
अंशदा सूचीनी क्रम संख्या 80 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेतागण के  
नाम का अमल बरामद राजस्व अभिलेखा में हो गया है। व्यतीनी  
क्रम संख्या-80 के अनुसार राम प्रसाद पुत्र नौसे की मृत्यु के  
पश्चात् उनके स्थान पर विक्रेतागण का नाम गरास्तन दर्ज है।  
विक्रेतागण अपनी कुल भूमि प्रोता को इस विक्रय विलेख द्वारा  
विक्रय कर रहे हैं। विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक,  
कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है,  
और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित  
भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा

04DD 014982 25000

रजिस्ट्रार





0400 014964



- 5 -

मुद्रातान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रंतागण नहीं स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रंतागण उक्त प्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची में अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रंतागण ने विक्रयशुदा भूमि का सीके पर कब्जा प्रेता को नसुद्धी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रंतागण तथा उसके वारिदान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रंतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व प्रेता के लिए प्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब प्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र

उपस्थित

इशारा करत

रहने ल-



0400 014983

-6-

स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपयोग करेंगे। विक्रेतागण उत्तम किसी प्रकार की अश्वन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रेतागण सम्पत्ति अथवा कोई मांग विक्रेतागण के स्वामित्व में भुट्टि के कारण या कानूनी अश्वन या कानूनी भुट्टि के कारण जैसा या उसके वारिसान निष्पक्षगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो प्रेता उसके वारिसान, निष्पक्षगण इत्यादि को वह हक होगा कि वह अपना सम्पत्ति नुकसान मय हर्जा व खर्चों, विक्रेतागण की गल, अथवा सम्पत्ति से

24 FEB 1983 24 FEB 1983

24 FEB 1983



जरिये अधोलत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेतागण एवं दुकानें  
धारिस्तान भर्जा व लवा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि जेता विक्रेतागण सम्पत्ति की दाखिल खातिज राज्य  
अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई  
आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रेतागण मिलेख को पूर्व बात अगर  
कोई कदाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको  
विक्रेतागण मुक्तान व बहन करेगा, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न  
होगी।

यह कि उपरोक्त लखत नामक ग्राम वसूल कर के  
बगिचापक अर्थकारी के वें सामान्य पास के अन्तर्गत आता है

1/10/1914

2/10/1914

2/10/1914



- 8 -

इसलिए निर्माणा सरकिल रेट रु० १,००,०००/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि ०.४२० हेक्टेयर की भाजियत रु० ४,२०,०००/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु० १,५४,०००/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। वह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्य की जा रही है। इस भूमि में कोई कुएँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा २०० मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि मिली लैंक मार्ग, राजमार्ग व जलपटीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर से लगभग ५०० मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

21/05/2023

21/05/2023

2/05/20



विशेषांगण व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विस्तृत विलेख के निबन्धन का समस्त व्यव क्रेता द्वारा कउन किया गया है।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुद्ध सम्पत्ति का विवरण

गुंमि खसरा नं० 133 रकबा 0.671 हेक्टेअर, खसरा नं० 138अ रकबा 0.226 हेक्टेअर, खसरा नं० 138ब रकबा 0.197 हेक्टेअर, कुल रकबा 1.094 हेक्टेअर के 3/4 भाग अर्थात् 0.820 हेक्टेअर, स्थित ग्राम सुलुफ नगर उर्फ मंगिरामऊ, परगना-विजनीर, ताहतील व जिला लखनऊ, जिसकी चौखटों निम्न है।

उपरिखत

श्रीमान

२५/१०



- 10 -

खसरा नं० 133 रकबा 0.671 हेक्टर

पूरुब : खसरा संख्या-135, 136, 137, 138

पश्चिम : खसरा संख्या-130

उत्तर : खसरा संख्या-134

दक्षिण : खसरा संख्या-132

खसरा नं० 138 रकबा 0.423 हेक्टर

पूरुब : खसरा संख्या-141

पश्चिम : खसरा संख्या-133

उत्तर : खसरा संख्या-137

दक्षिण : खसरा संख्या-140

09/12/88 20/12/88

रंजी

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल विक्रय मूल्य विक्रेतागण को रू० 15,39,525/- (पन्ध्र लाख उत्तालिस पाँच सौ पच्चीस रुपये) केता से द्वारा बिचरर घेक प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेतागण ने केता के गद्य में समझ गयाहान किना किसी जोर दबाव के, व स्वस्थ चित्त व मनकी हसा में लिखा दिया ताकि समझ रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

सम्पाक

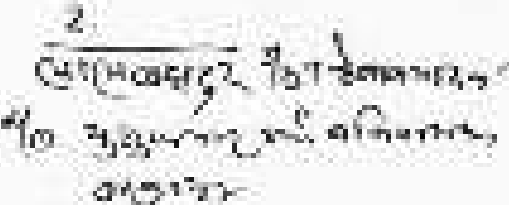
दिनांक: 28.12.2004

गवाह

1   
विक्रेतागण

(संश्लेषण)

मुद्रांक संदर्भ

2.   
संजित

केता

टाईम्स

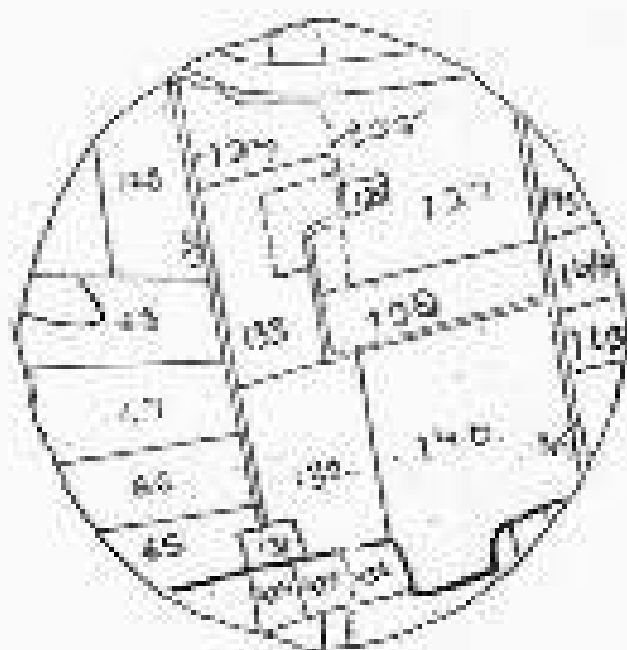
(सम समी)

गसमिवाकता

  
(अनुराग शुक्ला)  
एडिटर

राष्ट्रीय

रामदास —



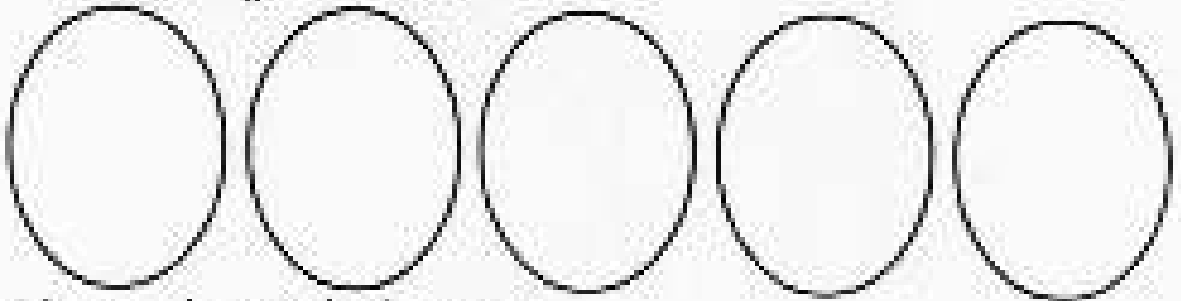
中刊

# रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिंट्स

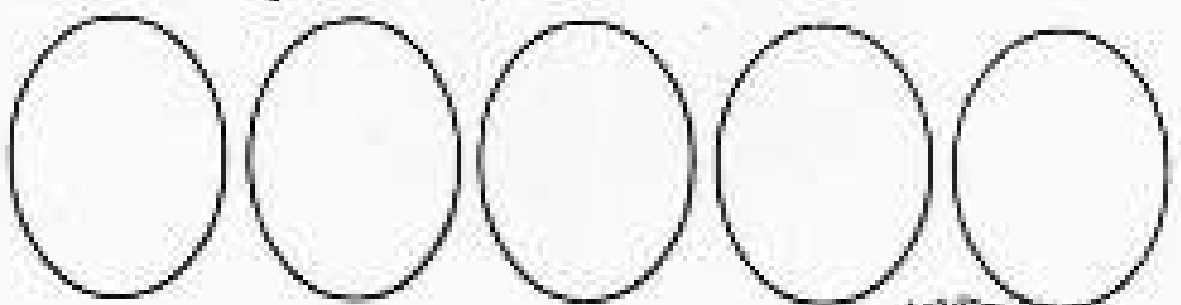
प्रस्तुतकर्ता/पिछेता का नाम व पता : रमेश कुमार

निवासी : विठ मुकुन्द गारु पद-बनियारा

बायें हाथ के अंगुलिओं के चिह्न :



दाहिने हाथ के अंगुलिओं के चिह्न :



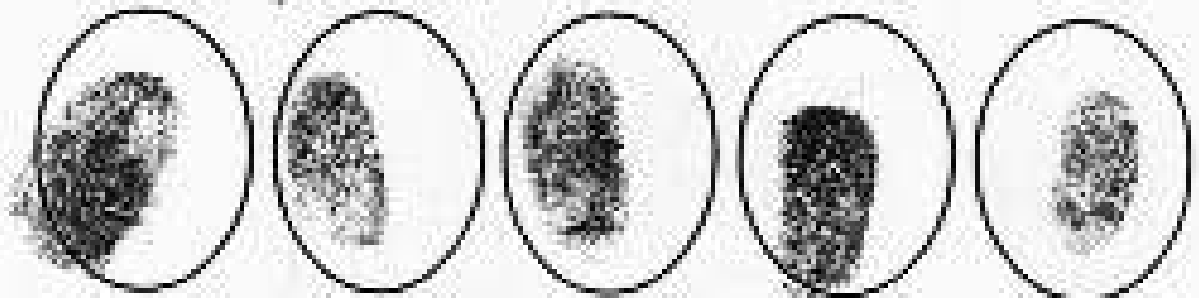
जिम्मेदार

प्रस्तुतकर्ता/पिछेता/सेल के इलाख

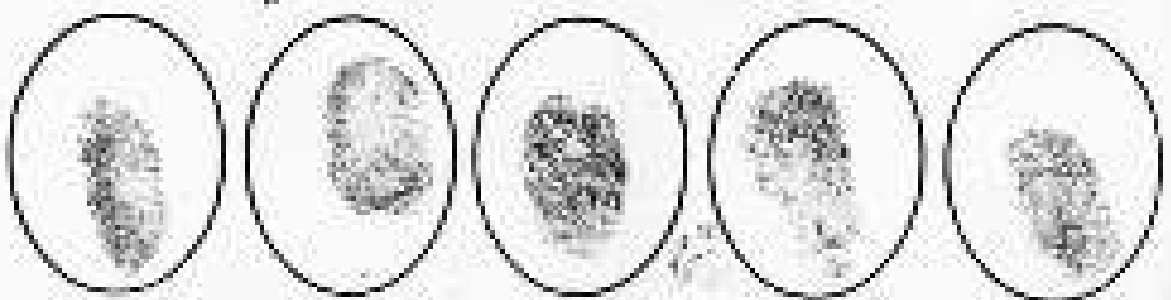
प्रस्तुतकर्ता/पिछेता का नाम व पता : रमेश कुमार

निवासी : विठ मुकुन्द गारु पद-बनियारा

बायें हाथ के अंगुलिओं के चिह्न :



दाहिने हाथ के अंगुलिओं के चिह्न :



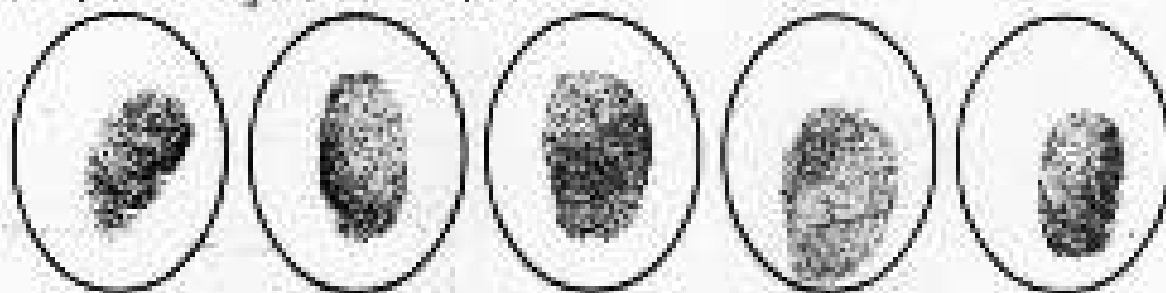
प्रस्तुतकर्ता/पिछेता के इलाख

20/01/2024

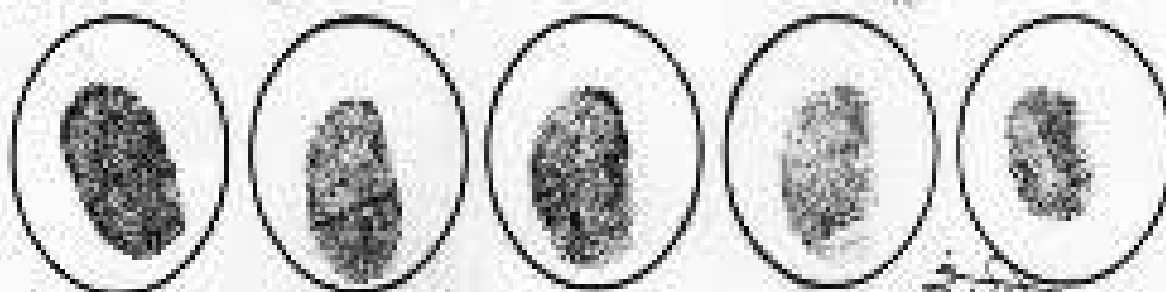
रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन  
हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रत्यक्ष-पिंडों का नाम यथा रेखीठ

निम्नलिखित वाक्यों में अंग्रेजी के विरुद्ध :  
 वाक्य १ : 'अंग्रेजी' का अर्थ 'अंग्रेज' है।



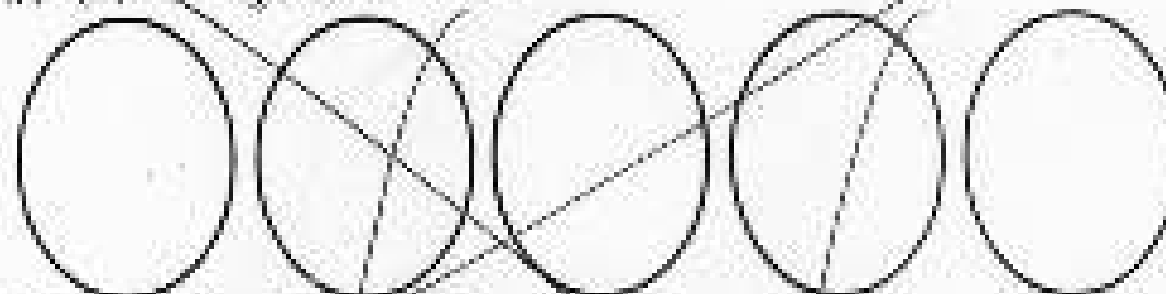
दक्षिण हाथ के अंगुलियों के ध्वज :



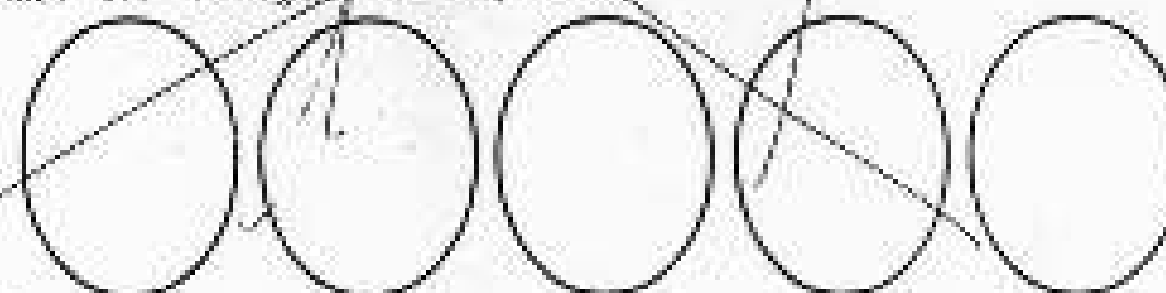
प्रमाणकर्म/विद्यार्थी/छात्रा के द्वारा

उत्सवार्थ/विजेता का नाम व पता :

~~आपे तस दे अणुलपे के निम्न :~~



दाहिने हाथ के अंगुलिओं के चिन्त :



विज्ञान/श्रेया से हस्ताक्षर



2011/2/14

महाराष्ट्र

2

पुणे

१०

२०१२

१०

१०

